न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या– 04/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, भारजा। 2. श्री राजकुमार पुत्र श्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी कुरक जागीर तहसील व जिला करनाल हरियाणा।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से ।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68 के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सात मंजिला भवन निर्माण के संबंध में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 की पालना में आदेश क्रमांक/2015–16/653 दिनांक 23.10.2015 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, जबकि ग्राम पंचायत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं बहु मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की पंचायतीराज नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से जारी निर्माण अनुज्ञा नियम विरूद्ध जारी कर नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है, जो निरस्त योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम खसरा संख्या 146/02 भुजेला(कालामगरा) में स्थित भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित होने से इंडियन रोड कांग्रेस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिना अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किए ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए अनुज्ञा जारी की गई है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या एक सक्षम नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम वाणिज्यिक सात मंजिला भवन निर्माण स्वीकृति जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 67(2) व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 57 से 62 की पालना नहीं की गई है एवं

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सक्षम स्वीकृति लेने का अभाव पाया गया है। अतः निर्माण स्वीकृति विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 161(2)(ख) में उल्लेखित विनिर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध निर्माण कार्य करवाया गया है, जो अवैधानितक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जो निर्माण स्वीकृति जारी की है, वह पूर्णतया नियमों के अन्तर्गत विधि सम्मत जारी की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अनाधिभोगी सरकारी भूमि आवंटन करने हेतु नियमानुसार जिला कलक्टर सिरोही के मार्फत राज्य सरकार को आवेदन किया था, जिस पर राजस्थान भू–राजस्व(स्कूलों, धर्मशालाओं तथा अन्य जनोपयोगी भवनों हेतु राजकीय अनांधिवासित कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम भुजेला व वाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 146/8, 146/1 किस्म नहरी द्वितीय में से क्रमशः रकबा 41.05 बीघा व 8.15 बीघा भूमि किमतन आवंटन की स्वीकृति शासन उपसचिव राजस्व(ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या पं.2/257/राज–3/12 दिनांक 17.05.2012 को प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/पं.12(3)/22/राज/2013/3259–68 दिनांक 15.06.2012 द्वारा देना मंजूर कर अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमानुसार दिनांक 15.06.2012 से 99 वर्ष की कालावधि तक पट्टेदार को पट्टे पर देने का आदेश पारित कर पट्टा विलेख का नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में दिनांक 22.06.2012 का निष्पादित किया गया था तथा उक्त पट्टा के पद संख्या 2(स) में स्थानीय ग्राम पंचायत में नियमानुसार मानचित्र के अनुमोदन एवं अनुमति के पश्चात् ही आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा, की शर्त के साथ पट्टा जारी किया गया था एवं इसी शर्त की पालना में अप्रार्थी संख्या दो ने अपने आवंटित पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य के संबंध में अप्रार्थी संख्या एक से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर नक्शा एवं प्लान के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य उसी समय पूर्ण कर लिया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने पट्टाशुदा भूमि पर सडक सीमा को छोडकर ही निर्माण कार्य किया है तथा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा कुछ भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की थी, जो सन् 1996 में रूपान्तरित भूमि थी एवं उस पर विक्रय विलेख के 13 वर्ष पूर्व से होटल निर्मित थी एवं उस जगह पर भी अप्रार्थी संख्या दो ने नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति का आदेश दिनांक 23.10.2015 को जारी किया था तथा अप्रार्थी संख्या दो ने निर्माण स्वीकृति के आदेश की समयावधि में ही अपना सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था, इसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र निर्माण स्वीकृति जारी होने के 06 वर्ष पश्चात अत्यन्त ही देरीना प्रस्तुत किया है, जो कानूनन अवधि बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के विरूद्ध धारा 61 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को 30 दिवस के अन्दर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, लेकिन उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई है। इस प्रकार श्रीमान न्यायालय में प्रार्थी को उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 को राजस्थान पंचायतीराज नियम नियम 1996 के नियम 68 के तहत संपरिवर्तन आबादी भूमि खसरा संख्या 146/3 ग्राम भुजेला(कालामगरा) में सात मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में पारित किया गया। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को खसरा संख्या 146/3 पर सात मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की है, परन्तु तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को प्रेषित रिपोर्ट जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/246 दिनांक 18.07.2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त खसरा संख्या 146/3 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की रोड सीमा में है। अतः उक्त निर्माण कार्य से पूर्व इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त की है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा भी उक्त खसरा संख्या 146/3 सडक सीमा में होने या न होने के सम्बन्ध में एवं इस पर किए गए निर्माण कार्य से पूर्व किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में न कोई कथन नहीं किया है एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करते समय 1/–रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल की है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(1)(ix) के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु 2/–रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल की जानी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पंचायत कोष की राजस्व की हानि की है। यह कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त खसरा संख्या 146/3 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की रोड सीमा में है, जिस पर किया गया निर्माण कार्य भी रोड सीमा में पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना नियम विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68 के तहत संपरिवर्तन आबादी भूमि खसरा संख्या 146/3 ग्राम भुजेला(कालामगरा) में सात मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.10.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत भारजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner